

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous IInd Bail Application No. 4346/2026

Mukesh S/o Ramswaroop, Aged About 45 Years, R/o Moorti Mohalla, Jhalra Kua, Dashahara Maidan, Gangapur City, District Sawai Madhopur. (At Present Confined In Sub Jail Gangapurcity).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Ravindra Kumar Paliwal
For Respondent(s) : Mr. A.K.Gupta, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

19/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय प्रार्थना-पत्र पुलिस थाना **उदई मोड जिला सवाई माधोपुर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **14/2026** अपराध अन्तर्गत धारा **8/21, 8/29** स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि उसे प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी के आधिपत्य से 6.94 ग्राम स्मैक बरामद होना बताया है जो लघु मात्रा से थोड़ी ही अधिक एवं वाणिज्यिक मात्रा 250 ग्राम से काफी कम है। उनका तर्क है कि प्रार्थी दिनांक 16.01.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरुद्ध पूर्व का एक अन्य आपराधिक प्रकरण इसी प्रकृति का बताया गया है जो सात ग्राम स्मैक की बरामदगी से सम्बन्धित है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 92/2025 पुलिस थाना गंगपुर सिटी सवाई माधोपुर भी उनके द्वारा पेश की जा रही है। अन्य तीन प्रकरण आरपीजीओ से सम्बन्धित हैं। उनका तर्क है कि मामले में आरोप-पत्र पेश हो चुका है तथा अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उसे जमानत का लाभ दिया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि अभियुक्त से 6.94 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, पूर्व में भी इसी प्रकृति का अन्य प्रकरण लम्बित है। आदतन अपराधी है, अतः उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी-अभियुक्त के आधिपत्य से 6.94 ग्राम स्मैक की बरामदगी हुई है, जो लघु मात्रा से कुछ ही अधिक और वाणिज्यिक मात्रा से कम है। प्रार्थी दिनांक 16.01.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व का एक प्रकरण इसी प्रकृति का दर्ज होना सामने आया है, जो 7 ग्राम स्मैक बरामदगी से सम्बन्धित है। अन्य तीन मामले आरपीजीओ से सम्बन्धित होना बताए गए हैं। मामले में आरोप-पत्र पेश हो चुका है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **सशर्त** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त **मुकेश पुत्र रामस्वरूप** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना-पत्र इस शर्त के साथ कि प्रार्थी-अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी-अभियुक्त योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु **एक लाख रुपये का बन्ध-पत्र एवं पचास-पचास हजार रुपये की दो प्रतिभूतियां** प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे इस मामले में जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

प्रार्थी/अभियुक्त को यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि वह प्रकरण के विचारण तक सम्बन्धित पुलिस थाने में प्रत्येक माह की 10 तारीख को अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। सम्बन्धित थानाधिकारी उसकी उपस्थिति का विवरण प्रत्येक माह विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। अभियुक्त द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं करने पर विद्वान लोक अभियोजक अभियुक्त के जमानत निरस्तीकरण के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र पेश करने को स्वतंत्र रहेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J